रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2883] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941
No. 2883] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/ BHADRA 8, 1941

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. 3150(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4775(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य 7506.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भुज, अंजर और भचाऊ तथा रपर तालुका/तहसील में स्थित है;

और, ग्रेट रन आफ कच्छ भारत-पाक सीमा पर कच्छ जिले का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। अत्यधिक लवण रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्र के साथ प्रायः समतल है जो 'बेय्टस' के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्षेत्र की वनस्पति और जीवजन्तुओं की विविधता है। रन्न एक अद्वितीय लवण-क्रस्टेड बंजरभूमि है और हाल के समय की अवतारण भूमि है। राजस्थान

क्षेत्र से बहने वाली कई छोटी, मौसमी धाराओं से भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में मलवा उत्सर्जन होता है, जिसने इस शुष्क क्षेत्र की दिशा पूर्व और उत्तर-पूर्व (गज़ेटियर, 1965) की तरफ हो गई है। अपरिष्कृत तलछट अन्तर्गम चैनलों के ऊपर जमा होते है, जबकि परिष्कृत तलछट आगे बहकर बाढ़ वाले क्षेत्रों में फैल गए और मिट्टी के खंडों के रूप में जमा हो गए। इस प्रकार, रन्न की मिट्टी के खंड धीरे-धीरे वर्ष बाद वर्ष में बनते गए। शुष्क अवधि के दौरान, कुछ बारहमासी नम क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से अलग-अलग डिग्री के लिए नमक जमने के लिए आवृत किया जाता है। रन्न सतही क्षेत्र के ऊपर केवल कुछ मीटर की दूरी पर कुछ विशेष द्वीप हैं जिन्हें 'बेय्टस' कहा जाता है। बेय्टस को कम वनस्पति के माध्यम से निचले मैदानों से आसानी से पहचाना जाता है वे बाद में इसकी विभिन्नता को पूरा कर सके;

और, पारिस्थितिकी, जीवजन्तु, वनस्पति और भू-रूपात्मक महत्व को पहचानते हुए, और वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के उद्देश्य से, गुजरात सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. जीएसएबीएन-41-85-डब्लूएलपी-1386-207-वी-2, तारीख 28 फरवरी 1986 को कच्छ जिले में 7506.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को "कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य" के रूप में घोषित किया था। यह अक्षांश 23° 25' और 24°30' उ और देशांतर 69 ° 53' और 70 °55' पू के बीच स्थित है। ग्रेटर रन ऑफ कच्छ समुद्री मान के स्तर से 15 मीटर की औसत ऊंचाई निचले क्षेत्रों में एक वास्तविक लवणीय रेगिस्तान है। अभयारण्य में कालादूंगर सबसे उच्च बिंदु (438 मीटर) है। क्षेत्र के अंतर्गत कच्छ जिले के खंडों में भुज, रपर, अंजर और भचाऊ के ग्राम आते हैं। अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल में से 109.00 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, 1313.07 वर्ग किलोमीटर राजस्व बंजर भूमि है जबकि शेष क्षेत्र आर्द्र भूमि है;

और, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, के ठीक बीच में थोड़ी उठी हुई भूमि है जहां बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोस मिट्टी के घोंसले बनाकर और प्रजनन करते हैं। यह क्षेत्र **"**हूनज्बेय्ट" या "फ्लेमिंगो शहर" के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को विविधता में बहुत समृद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन यह भव्य "पारिस्थितिकी प्रतिभास" और ग्रेटर फ्लेमिंगोस के सबसे बड़े समूह को आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य की प्रबंधन योजना के अनुसार इस क्षेत्र को मुख्य रूप से अनधिकार शिकार, अवैध कटाई, अतिक्रमण और अवैध क्रियाकलापों से खतरा है। इसलिए, अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की घोषणा के माध्यम से नियंत्रण की आवश्यकता है। इससे अंततः मनुष्य पशु संघर्ष में कमी आयेगी और भविष्य में स्थानीय जनसंख्या को फायदा होगा। इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में घोषित करने से, हम जंगली जानवरों और इनके पर्यावासों की बहाली कर सकते हैं;

और, अभयारण्य से अभिलिखित महत्त्वपूर्ण वनस्पति रण भिंडी, *(एबेलमोस्चुस मनीहॉट),* गुंजा*(एब्रुस प्रैक्ट्रोरियस),* खापत, दब्लीयार *(अबुटिलोन इंडिकम),* भोनीखांस्की *(अबुटिलोन थियोफ्रास्टी मेडिक),* ऑस्ट्रेलियाई बावल (*अकाकिया ऑरिकुलिफॉर्मिस),* तलबावरी *(अकाकिया जैकक्मोन्टी),* रूंचलो डाड्रो *(अकालीफा किलीअआ फोरसक),* दादरी(*अकालयफा इंडिका*) अघडो *(अचिरांथेस असपेरा वार. असपेरा एल.),* अरदुसी *(अधाटोडा जीलैनिका* एल. नीस), गोरखगैंजो (*एवरपेरिका बर्मा.एफ.),* रंबन, केतकी (*एग्वेव अमरिकाना एल.*), मोटो अर्डुसो *(एइलंथस एक्सेलस राक्सब.),* अंकोल, अंकोली *(अलांगिम सालविफोलियम),* शिरिष *(अलबिजिआ अमारा बोईवीन),* ससालोजैड *(अलबिजिया ओडोराटिसिमा),* डोंगरी *(अलियम केपा),* गिंगवार *(अलोए बारबाडेंसिस मिल.*) समेरवो *(अलयसिकारपुस टेट्रागोनोलोबुस एडगेव.*), तंडैलजो *(अमरांनथुस लिविडस),* कंधारो टैनडारभे (*अमारानथु स्सपिनोसस),* राजगैरो अदबो राजगैरो*(अमरानथुस विरिदिस),* लाई एगियो *(अम्मानिया बासिसीफेरा),*

करीयातु *(एंड्रोग्राफिस इचीओइदेस)*, सुवा *(एनेथुम ग्रेवेल्लेन्स)*, चोडारो *(एनीसोमेलिस इंडिका)*, राम्फाल *(अन्नोना रेटिकुलाटा)*, सीताफल (*अन्नोना सक्कामोसा*), भोयसिंघ *(अरचिशि हयपोगिया)*, *(अराचिरिया स्पा)*, अरदी, दरदी (*अरगेमोने मक्सिकाना एल*), समुद्रसोक, समदार, सोग *(अरगीरिया नर्वोसा (बर्मा एफ) बोज)*, लैंप *(अरिसिटिडा हिस्ट्रिकुला एड्गेव)*, नॉर्वेल *(अरिस्टोलोच्चि ब्रैक्टोलाटा लैम)*, *(अरिस्टोलोचिया एसपी)*, इकालकाटी *(एस्पैरागस रेसमोसस वाइल्ड)*, नीम (अजादीराचटा इंडिका ए. जुस्स), कांता असेरीओ (अरलेरिका परीओनीटीस), पोई (असेल्ला रूबरा), बोगंवेल *(बुयगइंविल्लेया गलाबरा चोइस्य)*, बोगंवेल (*बुयगइंविल्लेया स्पेकटाबिलिस वाइल्ड*), मोतू-धर्ममानू *(केंचरूस बिफ्लोरस रोक्सब)*, धामन *(केनचरूस किलिअरीस एल)*, सफेद मुस्ली *(क्लोरोफुंटं बोरिविलियानम सैंट और फर्नाड)*, घाना *(सिकरि एरेटिनम)*, फडवेल *(किस्साम्फेलोस पेरेइरा एल)*, टैंकारो *(कलेरोडेंडरूम फ्लोमिडीस)*, परवाट्टी *(कोकुलुस पेंड्यूलूस)*, शिशमुलीए *(कमेलिना अल्बेसेन्स हस्क)*, शिशमुलीए *(कमेलिना बेंघालेन्सिस)*, संगेटारो *(क्रोटेलिया बुहियाबुच हैम)*, पारदेशि थुवार *(क्रोटोन बोनप्लांडिनम बाइल)*, रबरवेल *(क्रिप्टोस्टेगे ग्रांडिफ्लोरा)*, जिम *(कुमिनुम सायमिन)*, अमरवेल *(कुस्कुटा चिनेंसिस)*, डेनाई *(डिचांथुउम अन्नुलाटुम)*, अम्बलीइजेजाद *(डिपटेराकनल्हुस पतुलुस)*, पटदुधी *(यूफोरिबिया थायमिफोलिया)*, आदि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र से अभिलिखित जीवजन्तुओं में भारतीय जंगली गधा (*इक्यउस हेमिओनुस खुर*), बनबिलार (*फेलिस चाउस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), हनी बैजर/भारतीय रटेल (मेल्लीवोरा *कापेंसिस*), इंडियन फ्लाइंग लोमड़ी (*पटरोपुस गिगेंटेसस*), छोटा भारतीय मुसंग (*विवरिकुला इंडिका*), डेज़र्ट कैट (*फेलिस सिलवेस्ट्रीस*), कैराकल (*फेलिस कैराकल*), भारतीय भेड़िया (*कैनिस लुपुस पैलीप्स*), डेज़र्ट लोमड़ी (*वुल्प्स वुल्प्स*), भारतीय साल (*मैनीस क्रासिडुडाटा*), ग्रे नेवला (*हर्पेस्टेस एडवर्सी*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), बंगाल लोमड़ी (*वुल्प्स बेन्गेलेंसिस*), लॉन्गियरड हेजहोग (*हेमीचिनस कोल्लारिस*), एशियाई मस्क श्रेव (*सनक्यूस मुरिनस*), ग्रेटर एशियाटिक येलो हाउस बैट (*स्कॉटोफिलस हेथीथी*), फाइव-स्ट्रिप्ड पाम गिलहरी (*फुनामबुलुस पेन्नानटी*), भारतीय डेज़र्ट जिर्ड (*मेरियोनेस हुर्रियने*), भारतीय क्रिस्टेड साही (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*), भारतीय खरगोश (*लेपस निग्रिकोलिस*), चिंकारा (*गज़ेल्ला बेन्नेट्टी*), ब्लू बुल (*बोसेलाफुस ट्रागोकैमेलस*), जंगली सूअर (*सुस स्क्रोफा*), ग्रेटर बैंडिकूट रैट (*बैंडिकोटा इंडिका*), इंडियन हेजहोग (*पैराचिनस मिक्रोपस*), लेसर एशियाटिक येलो बैट (*स्कॉटोफिलस कुहली*) आदि को अभिलिखित किया गया है। जबकि, कच्छ डेज़र्ट वन्यजीव अभयारण्य की पक्षी प्रजातियां ग्रेटर फ्लेमिंगो (*फीनिकॉप्टरस रुबर*), लेसर फ्लामिंगो (*फीनिकोनियास माइनर*), कॉम्ब बतख (*सर्किडियोरनिस मेलानोटोस*), गॉडवॉल (*एनास स्ट्रेपेरा*), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब (*पॉडिसेप्स क्रिस्टैटस*), लिटिल ग्रेब (*टैचिबैप्टस रुफिकोलिस*), डाल्मेटियन पेलिकन (*पेलेकनस क्रिसपस*), ग्रेट व्हाइट पेलिकन (*पेलेकैनस ओनोकोकोटेलस*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फालाकोक्रोरैक्स कार्बो*), ग्रे बगुला (*आर्डेया सिनेरिया*), भारतीय पॉण्ड बगुला (*आर्देओला ग्रेई*), पर्पल बगुला (*आर्देया पुरपुरिया*), कैटल एगरेट (*बुबुलकस इबिस*), ग्रेट इग्रेट (*कैस्मेरोडियस एलबस*), इंटरमीडिएट इग्रेट (*मेसोफॉयक्स इंटरमेडिया*), ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (*एफिपिओरिंचुस एसियाटिकस*), पेंटेड स्टोर्क (*माईटेरिया लुकोसेफला*), व्हाइट स्टोर्क (*सिकोनीया सिकोनीया*), यूरेशियन स्पूनबिल (*प्लाटाले ल्कोरोडिया*), ग्लॉसी इबिस (*प्लेगाडिस फैसिनेलस*), ब्लैक इबिस (*स्यूडिबिस पापिलोसा*), ब्लैक-हेडेड इबिस (*थ्रेसकीर्निस मेलानोसेफलस*), नार्थन शॉवेलर (*एनास स्कलीपाटा*), रेड-हेड गिद्ध (*सरकोगीप्स कैल्वस*), सेकर फाल्कन (*फाल्को चेरुग*), ब्लैक फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस*), ग्रे फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनस पोंडिसिएरियनस*), सरुस क्रेन (*ग्रुस एंटिगोन*),

सामान्य कुट (*फ़ुलीका आत्रा*), बैलॉनस क्रैक (*पोज़ाना पुसिला*), सामान्य मुरहेन (*गैलिनुला क्लोरोपस*), वॉटर रेल (*रैलुस क्वाटिकस*), परपल स्वैम्फेन (*पोर्फिरियो पोरिफिरियो*), व्हाइट ब्रेस्टेड जलमुरगी (*एमोरोरॉर्निस फ़ोनिक्यूरस*), ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इंडियन बस्टर्ड (*आर्देओटिस निग्रिसिस*), हुबारा या मैककेन बस्टर्ड (*क्लैमिडोटिस अनडुलाटा*), लेसर फ्लोरिकन (*सिफियोटाइड्स इंडिका*), जैक स्निप (*लिम्नोक्रिप्ट्स मिनिमस*), छोटा स्टिंट (*कैलिड्रि मिनुटा*), स्पॉटेड रेडशैंक (*ट्रिंगा रीथ्रोपस*), टेम्पमिंक स्टिंट (*कैलिड्रिस्ट मिमिन्की*), अल्पाइन स्वीफ्ट (*टैचिमेर्पिसिस मेल्बा*), यूरोपियन रोलर (*कोरासिआस गेरुलस*), कॉमन हूपो (*उपूपा पैप्स*), वायर-टेल्ड स्वालोप (*हिरंडो स्मिथि*), ग्रे-नेक्ड बंटिंग (*एम्बेरिज़ा बुचानानी*), हाउस बंटिंग या स्ट्रियोलेटेड बंटिंग (*इम्बेरिज़ा स्ट्राइलोटा*), इंडियन स्टार टोरटोइस (*जियोसेलोनि एलेगन्स*), हार्डविकस ब्लडस्कर (*ब्रैचिसोरा माइनर*), स्पिनी-टेल्ड छिपकली (*सारा हार्डविकि*), सामान्य भारतीय छिपकली (*वारानुस बेंगालेन्सिस*), मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोड्लुस प्लुस्ट्रिस*), बैंडेड रॉक गेको (*साइर्टोडैक्टिलस काकचेनसिस*) आदि हैं;

और, अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां *कोनवोलवुलस स्ट्रोकसी*, *हेलिक्रीसुम कुटचिकम*, *हेलियोट्रोपिउम बाक्कीफेरूम*, कोम्मीफोरा *वाइटि*, *हेलियोट्रोपियम रारीफ्लोरम*, *पावोनीया सरेटोकार्पा*, *सिदा तिगी भंदारी*, *सारा हार्डविकि*, *वैनेल्लुस ग्रेगारीएस*, *हेमीचिनउस कोल्लारिस*, *सिफियोटाइड्स इंडिका*, *फेलिस सिवेस्ट्रीस*, *गैज़ेल्ला बेनेट्टी* आदि पाई जाती हैं;

और, कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे इस अधिनियम में जिसे इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के कच्छ जिला में कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0(शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 733.48 वर्ग किलोमीटर है। *(अभयारण्य की उत्तरी सीमा की ओर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है).*

(2) कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध–II क, उपाबंध–II ख**, और **उपाबंध–II ग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशंकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और संलग्न ग्राम **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं

तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात**.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और

अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**वर्णन**
(1)	**(2)**	**(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और

		अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।

21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से विनियमित निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तविक स्थानीय निवासी या समुदायों द्वारा नमक बनाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
ई. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम**
(i)	कलेक्टर, कच्छ-भुज	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	परिस्थितिविज्ञानशास्त्री / वैज्ञानिक, गुजरात मरूस्थल पारिस्थितिकी संस्थान, भुज	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	पंचायत अधिकारी: संबंधित खंड का खंड विकास अधिकारी।	सदस्य;
(v)	राजस्व विभाग अधिकारी: संबंधित ब्लाक के ममलतदार।	सदस्य;
(vi)	भूविज्ञान विभाग के अधिकारी: भूविज्ञानी, भुज	सदस्य;
(vii)	सहायक वन संरक्षक, कच्छ पूर्व प्रभाग, भुज	सदस्य;
(viii)	संबंधित वन का रेंज वन अधिकारी	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, कच्छप पूर्व प्रभाग, भुज	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/23/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

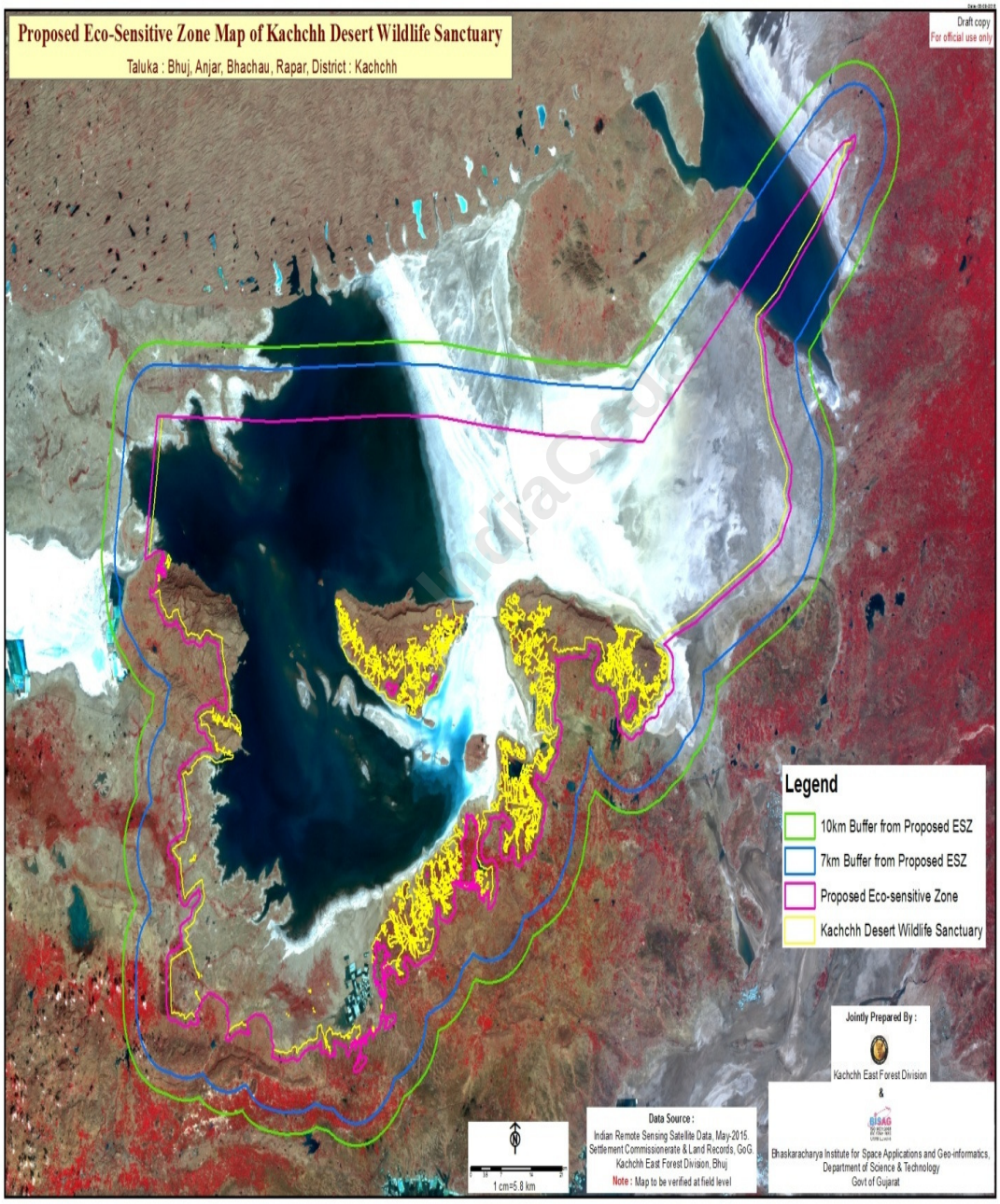
उपाबंध- I

गुजरात राज्य में कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	कच्छ का ग्रेटर रन्न (अंतर्राष्ट्रीय सीमा)
दक्षिण	भुज, अंजर, भचाऊ, रपर तालुका के ग्राम।
पूर्व	कच्छ का छोटा रन और जंगली गधा अभयारण्य की सीमा।
पश्चिम	भुज तुलाका के ग्राम और कच्छ का ग्रेटर रन।

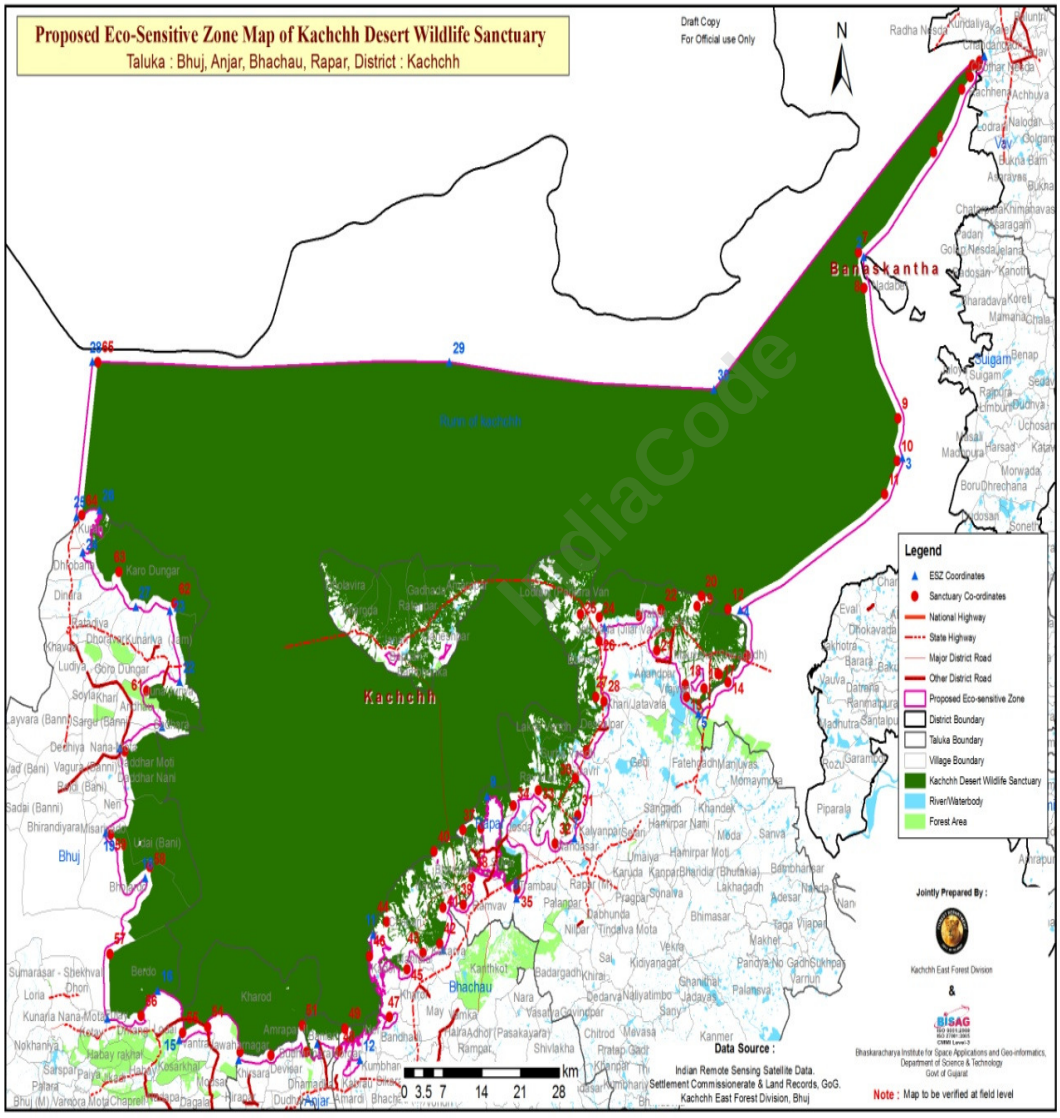
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र



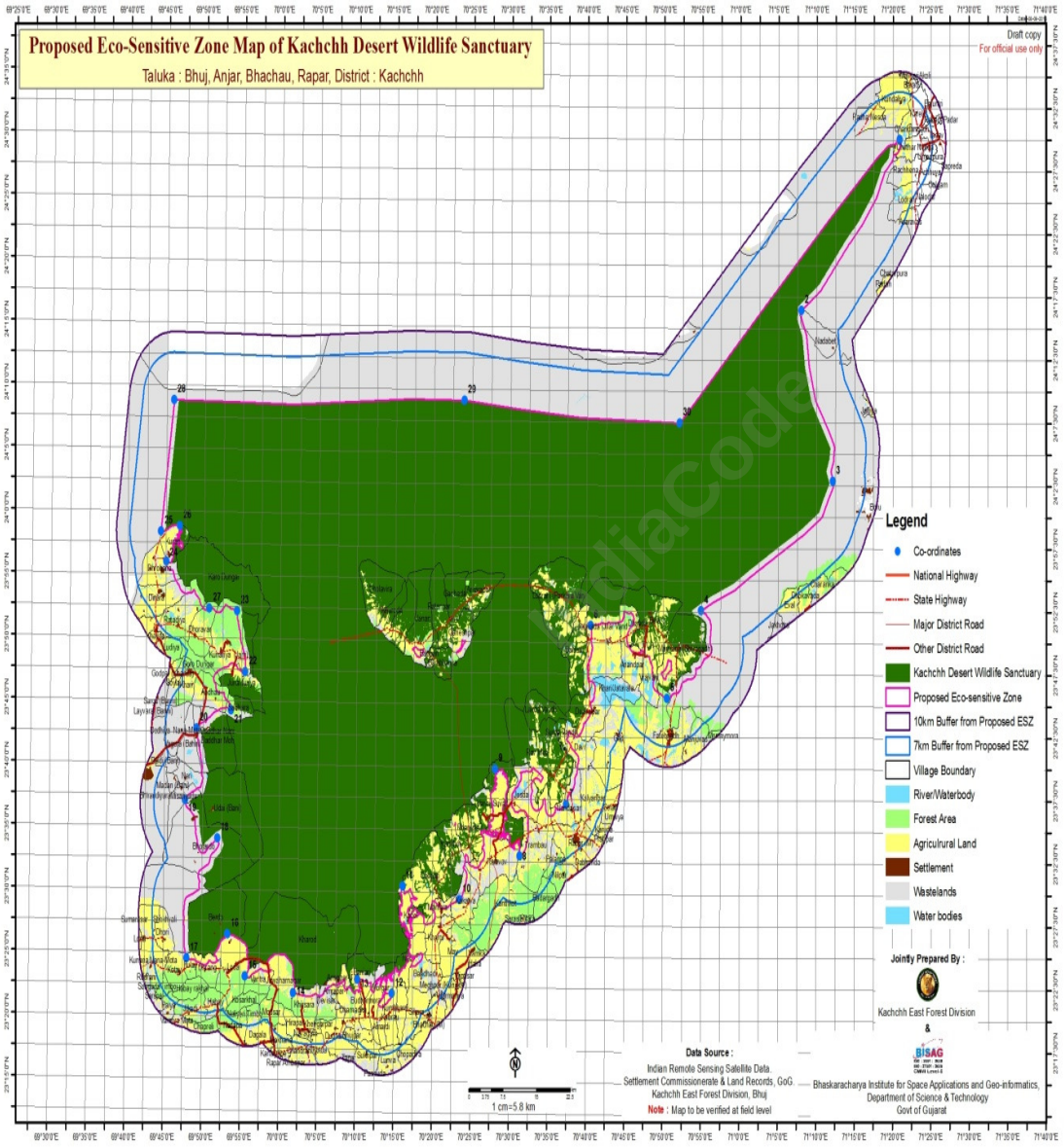
उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	1	24°29' 46.138"	71°20' 26.781"
2	2	2	24°29' 27.304"	71°20' 17.574"

3	3	3	24°29' 30.165"	71°19' 41.117"
4	4	4	24°28' 40.066"	71°19' 26.261"
5	5	5	24°27' 51.055"	71°18' 30.369"
6	6	6	24°23' 35.835"	71°15' 30.542"
7	7	7	24°16' 48.198"	71°07' 31.727"
8	8	8	24°14' 24.614"	71°08' 7.457"
9	9	9	24°05' 36.945"	71°11' 47.183"
10	10	10	24°02' 44.927"	71°11' 40.977"
11	11	11	24°00' 29.182"	71°10' 21.994"
12	12	12	23°52' 40.728"	70°53' 44.088"
13	13	13	23°49' 32.953"	70°55' 47.337"
14	14	14	23°47' 46.334"	70°53' 45.327"
15	15	15	23°46' 44.813"	70°49' 19.551"
16	16	16	23°47' 19.576"	70°51' 11.694"
17	17	17	23°48' 16.647"	70°52' 50.525"
18	18	18	23°47' 34.299"	70°49' 13.895"
19	19	19	23°52' 51.726"	70°50' 25.333"
20	20	20	23°53' 32.622"	70°50' 52.915"
21	21	21	23°49' 52.903"	70°46' 11.286"
22	22	22	23°52' 36.767"	70°46' 35.839"
23	23	23	23°52' 11.475"	70°44' 17.185"
24	24	24	23°52' 4.743"	70°40' 1.893"
25	25	25	23°52' 17.452"	70°38' 3.679"
26	26	26	23°50' 28.328"	70°40' 1.547"
27	27	27	23°46' 41.914"	70°39' 43.101"
28	28	28	23°46' 25.043"	70°40' 34.464"
29	29	29	23°43' 4.872"	70°38' 45.322"
30	30	30	23°41' 12.382"	70°37' 35.274"
31	31	31	23°38' 41.700"	70°37' 51.683"
32	32	32	23°36' 46.025"	70°35' 27.914"
33	33	33	23°40' 21.455"	70°33' 39.265"
34	34	34	23°39' 19.235"	70°30' 59.587"
35	35	35	23°33' 39.285"	70°31' 26.150"

IndiaCode

36	36	36	23°37' 46.808"	70°27' 34.022"
37	37	37	23°37' 37.038"	70°25' 40.900"
38	38	38	23°34' 26.688"	70°26' 37.724"
39	39	39	23°32' 36.096"	70°25' 44.796"
40	40	40	23°36' 9.127"	70°22' 36.248"
41	41	41	23°32' 22.331"	70°23' 36.094"
42	42	42	23°29' 56.967"	70°23' 15.957"
43	43	43	23°29' 19.379"	70°21' 29.841"
44	44	44	23°31' 22.663"	70°17' 38.279"
45	45	45	23°28' 12.292"	70°19' 49.317"
46	46	46	23°29' 2.561"	70°15' 50.033"
47	47	47	23°24' 57.476"	70°17' 58.544"
48	48	48	23°22' 34.694"	70°12' 39.064"
49	49	49	23°24' 8.191"	70°13' 16.175"
50	50	50	23°22' 31.260"	70°9' 14.669"
51	51	51	23°24' 19.929"	70°8' 44.200"
52	52	52	23°22' 15.515"	70°5' 28.464"
53	53	53	23°22' 27.069"	70°2' 10.721"
54	54	54	23°24' 7.319"	69°58' 45.047"
55	55	55	23°23' 41.428"	69°56' 5.412"
56	56	56	23°24' 47.196"	69°51' 41.437"
57	57	57	23°28' 56.093"	69°48' 19.547"
58	58	58	23°34' 52.471"	69°52' 28.330"
59	59	59	23°36' 59.400"	69°48' 19.586"
60	60	60	23°42' 36.892"	69°49' 43.760"
61	61	61	23°46' 45.012"	69°52' 0.908"
62	62	62	23°52' 38.769"	69°54' 54.963"
63	63	63	23°54' 42.901"	69°48' 56.295"
64	64	64	23°58' 30.304"	69°44' 57.032"
65	65	65	24°08' 50.575"	69°46' 31.947"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	1	24° 30' 04.333"	71° 20' 56.221"
2	2	2	24° 16' 30.128"	71°0 8' 05.386"
3	3	3	24° 02' 56.522"	71° 12' 14.051"
4	4	4	23° 52' 37.652"	70° 55' 00.234"
5	5	5	23° 45' 36.544"	70° 50' 34.870"
6	6	6	23° 51' 23.983"	70° 40' 36.927"
7	7	7	23° 37' 08.201"	70° 37' 28.392"
8	8	8	23° 33' 02.768"	70° 31' 23.946"
9	9	9	23° 39' 55.071"	70° 28' 13.567"
10	10	10	23° 29' 29.966"	70° 23' 36.004"
11	11	11	23° 30' 30.082"	70° 16' 11.608"
12	12	12	23° 22' 01.443"	70° 14' 51.539"
13	13	13	23° 23' 04.691"	70° 10' 21.570"
14	14	14	23° 22' 27.069"	70° 02' 10.721"
15	15	15	23° 22' 12.539"	69° 55' 43.364"
16	16	16	23° 26' 30.821"	69° 53' 25.018"
17	17	17	23° 24' 34.254"	69° 48' 06.173"
18	18	18	23° 34' 06.351"	69° 52' 00.396"
19	19	19	23° 37' 05.781"	69° 47' 45.000"
20	20	20	23° 42' 49.892"	69° 49' 11.409"
21	21	21	23° 44' 18.690"	69° 53' 39.636"
22	22	22	23° 47' 22.706"	69° 55' 29.463"
23	23	23	23° 52' 10.169"	69° 54' 23.910"
24	24	24	23° 56' 09.517"	69° 45' 06.256"
25	25	25	23° 58' 23.978"	69° 44' 22.339"
26	26	26	23° 58' 52.656"	69° 46' 48.230"
27	27	27	23° 52' 22.119"	69° 50' 45.302"
28	28	28	24° 08' 51.812"	69° 45' 56.372"
29	29	29	24° 09' 10.209"	70° 23' 57.735"

India Code

30	30	30	24° 07' 30.400"	70° 52' 09.580"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुका	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	अमरापार-II	राजस्व	अंजर	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
2	देवीसार	राजस्व	अंजर	23°21'05.24"	70°06' 14.26"
3	धमाडका	राजस्व	अंजर	23°21'10.38"	70°09' 26.40"
4	अमरापार	राजस्व	भचाऊ	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
5	बमभांका	राजस्व	भचाऊ	23°48'39.24"	70°20' 02.66"
6	बंधादी	राजस्व	भचाऊ	23°23'27.04"	70°19' 05.04"
7	बनैरी	राजस्व	भचाऊ	23°23'41.66"	70°10' 30.95"
8	बपौरी	राजस्व	भचाऊ	23°50'27.56"	70°20' 20.26"
9	भरुदिया	राजस्व	भचाऊ	23°33'39.89"	70°24' 57.44"
10	छोबरी	राजस्व	भचाऊ	23°51'45.29"	70°23' 44.34"
11	धोलाविरा	राजस्व	भचाऊ	23°52'54.97"	70°12' 50.03"
12	गधादा	राजस्व	भचाऊ	23°54'29.25"	70°23' 43.47"
13	गनेशपार	राजस्व	भचाऊ	23°51'44.57"	70°23' 43.96"
14	जनान	राजस्व	भचाऊ	23°49'49.51"	70°18' 26.71"
15	कल्यानपार	राजस्व	भचाऊ	23°51'52.22"	70°16' 56.93"
16	कबरौ	राजस्व	भचाऊ	23°19'26.12"	70°14' 48.36"
17	कदोल	राजस्व	भचाऊ	23°28'56.62"	70°16' 34.56"
18	काकारवा	राजस्व	भचाऊ	23°29'34.78"	70°24' 43.23"
19	कनखोई	राजस्व	भचाऊ	23°33'29.23"	70°22' 39.42"
20	खरोदा	राजस्व	भचाऊ	23°52'15.99"	70°14' 48.24"
21	कुमभरदी	राजस्व	भचाऊ	23°20'18.32"	70°16' 14.04"
22	मनफारा	राजस्व	भचाऊ	23°28'31.23"	70°21' 13.93"
23	मोरगर	राजस्व	भचाऊ	23°20'26.45"	70°12' 23.16"
24	रतनपार	राजस्व	भचाऊ	23°53'11.69"	70°21' 14.88"
25	अंधौ	राजस्व	भुज	23°45'31.85"	69°49' 47.29"
26	बेरदो	राजस्व	भुज	23°29'38.61"	69°55' 49.37"

IndiaCode

27	भोजारदो	राजस्व	भुज	23°35'37.23"	69°48' 47.50"
28	दद्धार मोती	राजस्व	भुज	23°42'06.90"	69°52' 17.70"
29	दद्धार नानी	राजस्व	भुज	23°41'32.84"	69°48' 00.48"
30	धोरावर	राजस्व	भुज	23°50'24.54"	69°50' 31.33"
31	ध्रोबाना	राजस्व	भुज	23°56'08.23"	69°45' 09.54"
32	दिनारा	राजस्व	भुज	23°53'14.96"	69°43' 42.96"
33	फुलेय	राजस्व	भुज	23°24'16.47"	69°49' 05.54"
34	दोरो दुंगर	राजस्व	भुज	23°47'44.19"	69°49' 05.54"
35	जवाहरन्नगर	राजस्व	भुज	23°21'46.04"	70°01' 14.05"
36	जुना जुरिया	राजस्व	भुज	23°45'25.31"	69°56' 35.25"
37	खरोद	राजस्व	भुज	23°26'30.31"	70°03' 38.46"
38	कुनरिया (जैम)	राजस्व	भुज	23°49'40.07"	69°53' 16.88"
39	कुरन्न	राजस्व	भुज	23°57'24.27"	69°46' 56.28"
40	लोदाई	राजस्व	भुज	23°23'58.31"	69°53' 11.29"
41	मिसरियादो	राजस्व	भुज	23°38'37.03"	69°46' 37.01"
42	मेरी	राजस्व	भुज	23°38'37.03"	69°47' 38.78"
43	सधारा	राजस्व	भुज	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
44	उदाई (बानी)	राजस्व	भुज	23°35'55.42"	69°51' 14.21"
45	वगुरा (बन्नी)	राजस्व	भुज	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
46	वतरा	राजस्व	भुज	23°21'52.43"	69°56' 56.36"
47	आन्नदपार	राजस्व	रपर	23°49'06.88"	70°46' 07.42"
48	बालासर	राजस्व	रपर	23°50'32.41"	70°40' 03.99"
49	बेला	राजस्व	रपर	23°52'28.42"	70°48' 16.72"
50	जतावडा (जिलरवांद)	राजस्व	रपर	23°50'15.02"	70°42' 55.17"
51	जेसदा	राजस्व	रपर	23°37'50.32"	70°32' 17.69"
52	लकडा वंध	राजस्व	रपर	23°52'25.65"	70°37' 50.43"
53	लोदरानी (परकारा वन)	राजस्व	रपर	23°53'25.65"	70°37' 50.43"
54	मौवाना (शिवगढ़)	राजस्व	रपर	23°49'41.95"	70°52' 00.94"
55	नंदासर	राजस्व	रपर	23°36'41.63"	70°38' 11.77"
56	रामवाव	राजस्व	रपर	23°33'02.12"	70°28' 11.09"
57	रावमोती	राजस्व	रपर	23°39'33.71"	70°28' 47.02"

IndiaCode

58	सुरबावंध	राजस्व	रपर	23°42'47.49"	70°36' 13.42"
59	सुवाई	राजस्व	रपर	23°36'52.49"	70°29' 31.78"
60	ट्रामबौ	राजस्व	रपर	23°34'53.04"	70°33' 22.32"
61	खारी जतावडा	राजस्व	रपर	23°50'14.81"	70°45'3.77"
62	कल्यानपार	राजस्व	रपर	23°36'11.30"	70°40' 25.46"
63	वनोई	राजस्व	रपर	23°36'48.72"	70°26' 56.08"
64	वरजवानी	राजस्व	रपर	23°48'57.73"	70°47' 33.01"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2019

S.O. 3150(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4775 (E) dated the 10th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th September, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary is spread over an area of 7506.22 square kilometres and situated in Bhuj, Anjar, and Bhachau and Rapar Taluka/Tehsil of Kachchh district in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, the Greater Rann of Kachchh is the north-eastern region of Kachchh district bordering Indo-Pak border. The most saline desert is almost flat with highlands known as 'beyts' having floral as well as faunal diversity of the region. Rann is a unique salt-crusted wasteland and the depositional plain of the recent time. Enormous volume of detritus was discharged into it by several small, seasonal streams flowing from Rajasthan area also, which drained this arid region towards the east and north-east (Gazetteer, 1965). The coarser sediments might have been deposited in the inlet channels at their heads while the finer sediments might have been carried further and spread over the flooded areas and got deposited as mud-flats. Thus, the mud flats of the Rann have gradually built up year after year. During dry period, except for some perennially wet patches, the whole region gets practically covered with salt encrustation to varying degrees. Rising only a few meters above the Rann surface area certain islands like features termed as "Beyts". The beyts are easily distinguished from the low lying plain by means of the scanty vegetation that they support in contrast to the lack of it in the later;

AND WHEREAS, recognizing the ecological, faunal, floral and geo-morphological significance, and for the purpose of protecting, conserving and developing wildlife and their habits, Government of Gujarat *vide* its notification no. GSABN-41-85-WLP-1386-207-V-2, dated 28th February' 1986 declared an area of 7506.22 km² as "Kutch Desert Wildlife Sanctuary" in Kachchh District. It lies between 23° 25' and 24 °30' N latitude and 69 ° 53' and 70 °55' E longitude. Greater Rann of Kachchh is a true saline desert in low-lying flats with average altitude of 15 m above mean sea level. Kaladungar is the highest point (438 m) within the Sanctuary. The area comprises of villages of Bhuj, Rapar, Anjar and Bhachau Blocks of Kachchh District. Out of total area of the Sanctuary, 109.00 km² is forest area, 1313.07 km² revenue wasteland while remaining area is wetland;

AND WHEREAS, right in the midst of the Greater Rann of Kachchh, there is a slightly raised ground where large numbers of Flamingos build their mud nests and breed. The area is known as "Hunj beyt" or "Flamingo City". The area may not be considered very rich in diversity but it support one of the magnificent "Ecological phenomena" and largest congregation of greater flamingos. As per the management plan of the sanctuary, area is exposed to threats mainly from poaching, illicit cutting, encroachment and illegal activities. Hence areas around the sanctuary require control through declaration of Eco-sensitive Zone. It will ultimately decrease the man animal conflict and in future local population will be benefitted. By declaring this area as Eco-sensitive zone, we can restore the eco-system of wild animals and its habitat;

AND WHEREAS, the important flora recorded from the Sanctuary are Ran bhindi, (*Abelmoschus manihot*), Gunja (*Abrus precatorius*), Khapat, Dabliar *(Abutilon indicum*), Bhonykhanski (*Abutilon theophrasti* Medic), Australian Baval (*Acacia auriculiformis*), Talbavari (*Acacia jacquemontii*), Runchalo dadro (*Acalypha ciliata* Forsk.), Dadari (*Acalypha indica*), Aghado (*Achyranthes aspera* Var. aspera L.), Ardusi (*Adhatoda zeylanica* L. Nees), Gorakhganjo (*Aervapersica* Burm.f.), Ramban, Ketaki (*Agave americana* L.), Moto arduso (*Ailanthus excelsa* Roxb.), Ankol, Ankoli (*Alangium salvifolium*), Shirish (*Albizia amara* Boivin.), Sasalozad (*Albizia odoratissima*), Dongari (*Allium cepa*), Gingwar (*Aloe barbadensis* Mill.), Samervo (*Alysicarpus tetragonolobus* Edgew.), Tandaljo (*Amaranthus lividus*), Kandharo tandarbhe (*Amaranthus spinosus*), Rajgaro Adbau Rajgaro (*Amaranthus viridis*), Lai agio (*Ammannia baccifera*), Kariyatu (*Andrographis echioides*), Suwa (*Anethum graveolens*), Chodharo (*Anisomeles indica)* Ramphal (*Annona reticulata*), Sitaphal (*Annona squamosa*), Bhoysingh (*Arachis hypogaea*), (*Araucaria sp.*), Aredi, Daradi (*Argemone mexicana L.*), Samudrasok, Samadar, Sog (*Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj*), Lamp (*Arisitida histricula* Edgew.), Norvel (*Aristolochia bracteolata Lam.*), (*Aristolochia sp.*), Ekalkati (*Asparagus racemosus* Willd.), Neem (*Azadirachta indica* A. Juss.), Kanta aserio (*Barleria prionitis*), Poi (*Basella rubra*), Boganvel (*Bougainvillea glabra* Choisy), Boganvel (*Bougainvillea spectabilis* Willd), Motu-Dharmanu (*Cenchrus biflorus* Roxb.), Dhaman (*Cenchrus ciliaris L*), Safed musli (*Chlorophytum borivilianum* Sant. & Fernand), Ghana (*Cicer arietinum*), Phadvel (*Cissampelos pareira* L.), Tankaro (*Clerodendrum phlomidis*), Parwatti (*Cocculus pendulus*), Shishmuliu (*Commelina albescens Hassk.*), Sishmuliu (*Commelina benghalensis*), Sangetaro (*Crotalaria burhia* Buch.-Ham.), Pardeshi thuvar (*Croton bonplandianum* Baill.), Rabarvel (*Cryptostegia grandiflora*), Jim (*Cuminum cyminum*), Amarvel (*Cuscuta chinensis*), Denai (*Dichanthium annulatum*), Ambliejezad (*Dipteracanlhus patulus)* Patdudhi (*Euphorbia thymifolia*), etc;

AND WHEREAS, The fauna recorded from the protected area are Indian wild ass (*Equus hemionus khur),* jungle cat (*Felis chaus),* striped hyena (*Hyaena hyaena),* honey badger / Indian ratel (*Mellivora capensis),* Indian flying fox (*Pteropus giganteus),* small Indian civet (*Viverricula indica),* desert cat (*Felis silvestris),* caracal(*Felis caracal),* Indian wolf (*Canis lupus Pallipes),* Desert Fox (*Vulpes vulpes),* Indian pangolin (*Manis crassicaudata),* gray mongoose (*Herpestes edwardsi),* jackal (*Canis aureus),* bengal fox (*Vulpes bengalensis),* longeared hedgehog (*Hemiechinus Collaris),* Asian musk shrew (*Suncus murinus),* greater Asiatic yellow house bat (*Scotophilus Heathii),* five-striped palm squirrel (*Funambulus pennanti),* Indian desert jird (*Meriones hurrianae),* Indian creasted porcupine (*Hystrix indica),* Indian hare (*Lepus nigricollis),* Chinkara (*Gazella Bennettii),* blue bull (*Boselaphus tragocamelus),* wild pig (*Sus scrofa),* greater bandicoot rat (*Bandicota indica),* Indian hedgehog (*Paraechinus micropus),*lesser Asiatic yellow bat (*Scotophilus kuhli)* etc. While, bird species of the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary are greater flamingo (*Phoenicopterus ruber),* lesser flamingo (*Phoeniconaias minor),* comb duck (*Sarkidiornis melanotos),* gadwall(*Anas strepera),* great crested grebe (*Podiceps cristatus),* little grebe (*Tachybaptus ruficollis),* dalmatian pelican (*Pelecanus*

crispus), great white pelican (*Pelecanus onocrotalus),* great cormorant (*Phalacrocorax carbo),* grey heron (*Ardea cinerea),* Indian pond heron (*Ardeola grayii),* purple heron (*Ardea purpurea),* cattle egret (*Bubulcus ibis),* great egret (*Casmerodius albus),* Intermediate egret (*Mesophoyx intermedia),* black-necked stork (*Ephippiorhynchus asiaticus),* painted Stork (*Mycteria leucocephala),* White Stork (*Ciconia ciconia),* Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia),* Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus),* Black Ibis (*Pseudibis papillosa),* black-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus),* Northern Shoveler (*Anas clypeata),* red-headed Vulture (*Sarcogyps calvus),* saker falcon (*Falco Cherrug),* black Francolin (*Francolinus francolinus),* grey francolin (*Francolinus pondicerianus),* sarus crane (*Grus antigone),* common coot (*Fulica atra),* Baillon's crake (*Porzana pusilla),* common moorhen (*Gallinula chloropus),* water rail (*Rallus aquaticus),* purple swamphen (*Porphyrio porphyrio),* white-breasted waterhen (*Amaurornis phoenicurus),* great Indian bustard or Indian bustard (*Ardeotis nigriceps),* houbara or Macqueen's bustard (*Chlamydotis undulata),* lesser florican (*Sypheotides indica),* jack snipe (*Lymnocryptes minimus),* little stint (*Calidris minuta),* spotted redshank (*Tringa erythropus),* temminck's stint (*Calidris temminckii),* alpine swift (*Tachymarptis melba),* Europian roller (*Coracias garrulus),* common hoopoe (*Upupa epops),* wire-tailed swallow (*Hirundo smithii),* grey-necked bunting (*Emberiza buchanani),* house bunting or striolated bunting (*Emberiza strailota)*, Indian star tortoise (*Geochelone elegans),* Hardwicke's bloodsucker(*Brachysaura minor),* spiny-tailed lizard(*Sara hardwickii),* common Indian monitor(*Varanus bengalensis),* marsh crocodile (*Crocodylus palustris),* banded rock gecko (*Cyrtodactylus kacchensis)* etc;

AND WHEREAS, the rare and endangered species found in the Sanctuary are *Convolvulus stocksii, Helichrysum cutchicum, Heliotropium bacciferum, Commiphora wightii, Heliotropium rariflorum, Pavonia ceratocarpa, Sida tiagii Bhandari, Sara hardwickii, Vanellus gregarius, Hemiechinus collaris, Sypheotides indica, Felis silvestris, Gazella bennettii,* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary, in Kachchh district in the State of Gujarat as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 733.48 square kilometres. *(Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to international border with Pakistan towards northern boundary of the Sanctuary).*

 a. The boundary description of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 b. The maps of the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

 c. List of geo-coordinates of the boundary of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 d. The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

 (i) Environment;
 (ii) Forest and Wildlife;
 (iii) Agriculture;

(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism; , eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

IndiaCode

10.	Small scale non polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Salt making by the bonafide local or communities to meet the residential needs.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

(i)	Collector, Kachchh-Bhuj	Chairman, ex officio
(ii)	Ecologist/ Scientist, Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	Official of Panchayat: Block Development Officer of Concern block.	Member;
(v)	Official of Revenue Department: Mamlatdar of Concern block.	Member;
(vi)	Official of Geology Department : Geologist, Bhuj	Member;
(vii)	Assistant Conservator of Forests, Kachchh East Division, Bhuj	Member;
(viii)	Range Forest Officers of Concern Ranges	Member;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Kachchh East Division, Bhuj	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the

Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/23/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

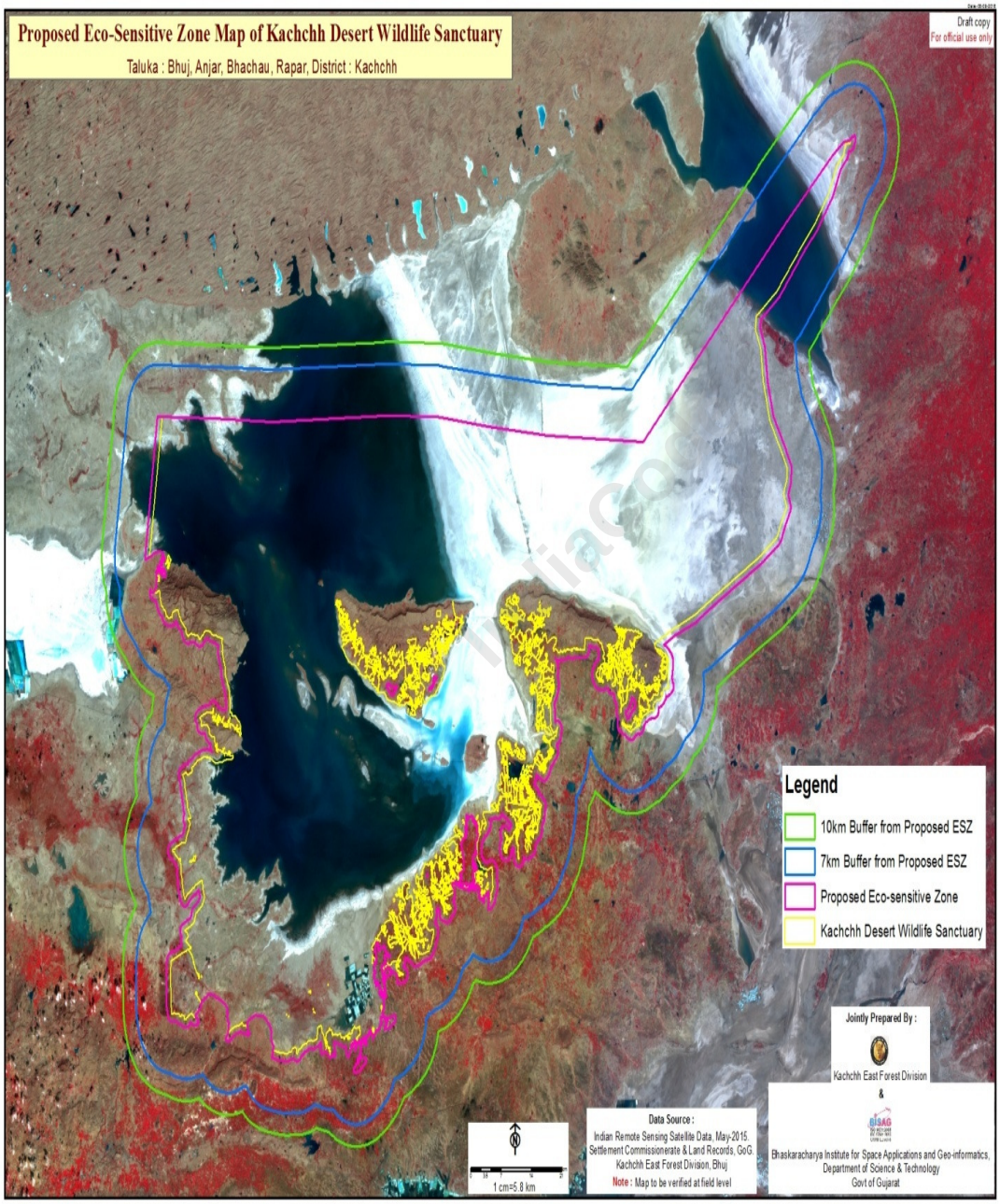
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE GUJARAT

North	Greater Rann of Kachchh (International Boundary)
South	Villages of Bhuj, Anjar, Bhachau, Rapar Talukas.
East	Little Rann of Kachchh and Border of Wild Ass Sanctuary.
West	Villages of Bhuj Taluka and Greater Rann of Kachchh.

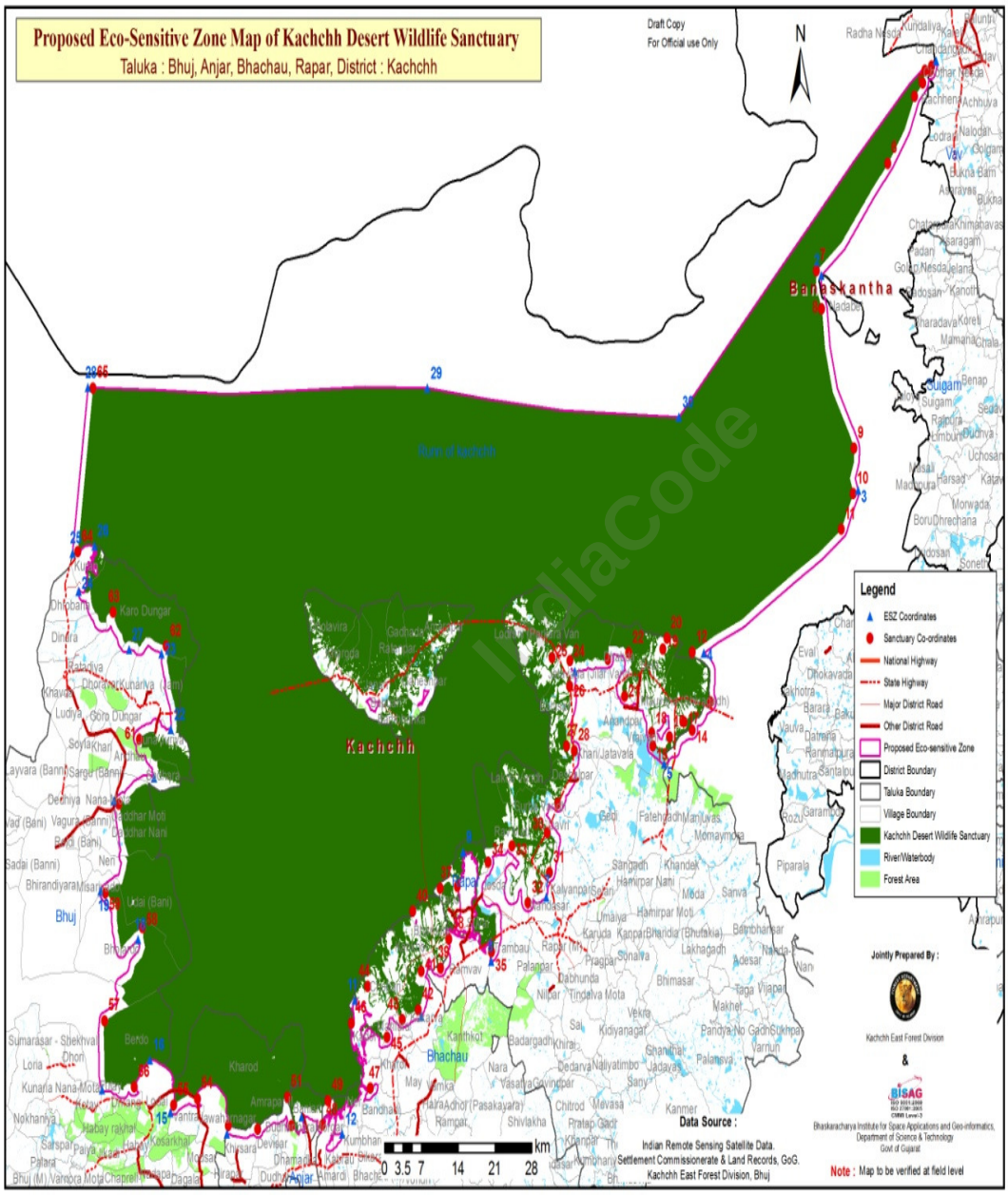
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



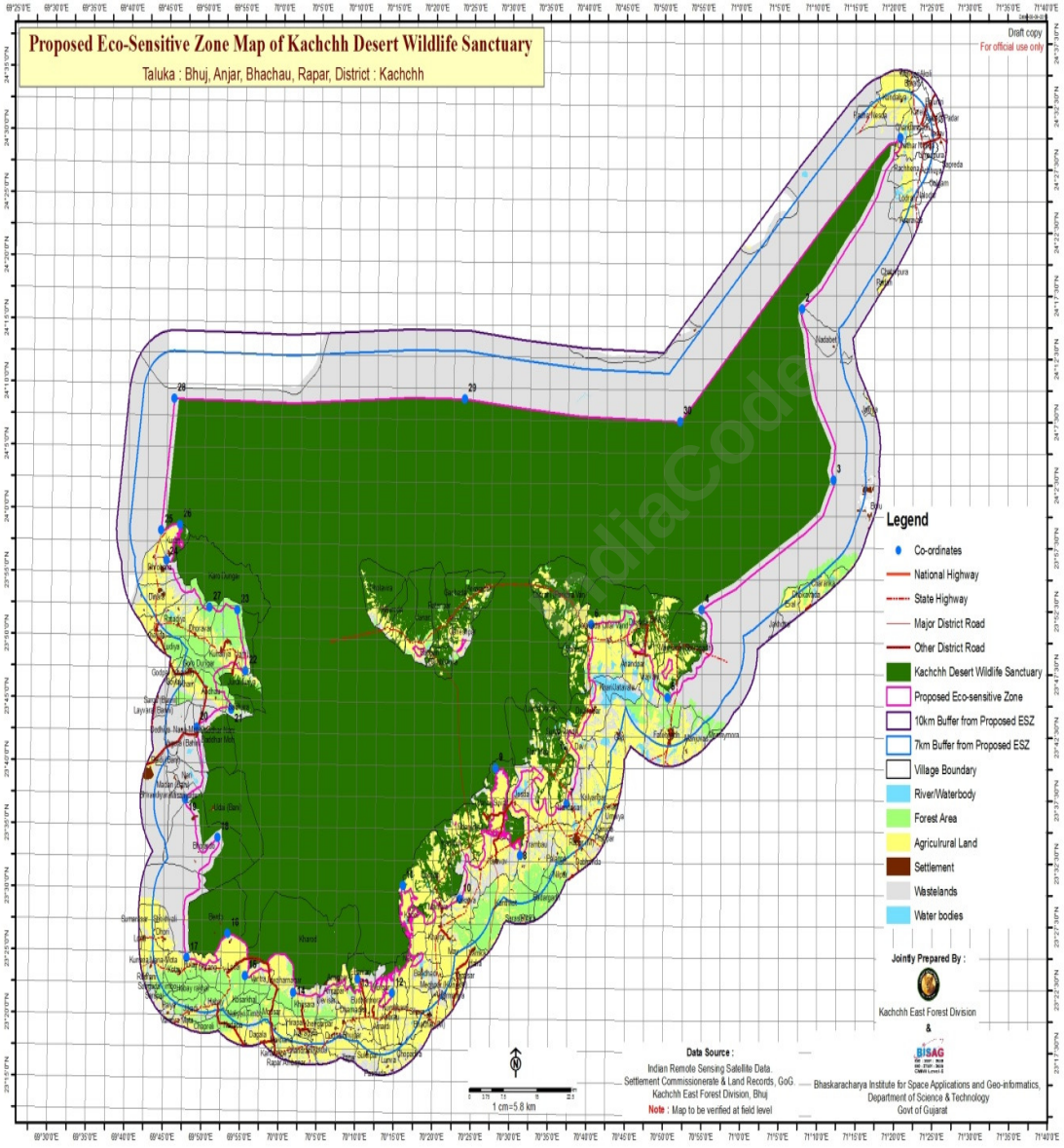
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	1	24°29' 46.138"	71°20' 26.781"
2	2	2	24°29' 27.304"	71°20' 17.574"
3	3	3	24°29' 30.165"	71°19' 41.117"

4	4	4	24°28' 40.066"	71°19' 26.261"
5	5	5	24°27' 51.055"	71°18' 30.369"
6	6	6	24°23' 35.835"	71°15' 30.542"
7	7	7	24°16' 48.198"	71°07' 31.727"
8	8	8	24°14' 24.614"	71°08' 7.457"
9	9	9	24°05' 36.945"	71°11' 47.183"
10	10	10	24°02' 44.927"	71°11' 40.977"
11	11	11	24°00' 29.182"	71°10' 21.994"
12	12	12	23°52' 40.728"	70°53' 44.088"
13	13	13	23°49' 32.953"	70°55' 47.337"
14	14	14	23°47' 46.334"	70°53' 45.327"
15	15	15	23°46' 44.813"	70°49' 19.551"
16	16	16	23°47' 19.576"	70°51' 11.694"
17	17	17	23°48' 16.647"	70°52' 50.525"
18	18	18	23°47' 34.299"	70°49' 13.895"
19	19	19	23°52' 51.726"	70°50' 25.333"
20	20	20	23°53' 32.622"	70°50' 52.915"
21	21	21	23°49' 52.903"	70°46' 11.286"
22	22	22	23°52' 36.767"	70°46' 35.839"
23	23	23	23°52' 11.475"	70°44' 17.185"
24	24	24	23°52' 4.743"	70°40' 1.893"
25	25	25	23°52' 17.452"	70°38' 3.679"
26	26	26	23°50' 28.328"	70°40' 1.547"
27	27	27	23°46' 41.914"	70°39' 43.101"
28	28	28	23°46' 25.043"	70°40' 34.464"
29	29	29	23°43' 4.872"	70°38' 45.322"
30	30	30	23°41' 12.382"	70°37' 35.274"
31	31	31	23°38' 41.700"	70°37' 51.683"
32	32	32	23°36' 46.025"	70°35' 27.914"
33	33	33	23°40' 21.455"	70°33' 39.265"
34	34	34	23°39' 19.235"	70°30' 59.587"
35	35	35	23°33' 39.285"	70°31' 26.150"
36	36	36	23°37' 46.808"	70°27' 34.022"
37	37	37	23°37' 37.038"	70°25' 40.900"
38	38	38	23°34' 26.688"	70°26' 37.724"
39	39	39	23°32' 36.096"	70°25' 44.796"
40	40	40	23°36' 9.127"	70°22' 36.248"
41	41	41	23°32' 22.331"	70°23' 36.094"
42	42	42	23°29' 56.967"	70°23' 15.957"
43	43	43	23°29' 19.379"	70°21' 29.841"

Indiakode

44	44	44	23°31' 22.663"	70°17' 38.279"
45	45	45	23°28' 12.292"	70°19' 49.317"
46	46	46	23°29' 2.561"	70°15' 50.033"
47	47	47	23°24' 57.476"	70°17' 58.544"
48	48	48	23°22' 34.694"	70°12' 39.064"
49	49	49	23°24' 8.191"	70°13' 16.175"
50	50	50	23°22' 31.260"	70°9' 14.669"
51	51	51	23°24' 19.929"	70°8' 44.200"
52	52	52	23°22' 15.515"	70°5' 28.464"
53	53	53	23°22' 27.069"	70°2' 10.721"
54	54	54	23°24' 7.319"	69°58' 45.047"
55	55	55	23°23' 41.428"	69°56' 5.412"
56	56	56	23°24' 47.196"	69°51' 41.437"
57	57	57	23°28' 56.093"	69°48' 19.547"
58	58	58	23°34' 52.471"	69°52' 28.330"
59	59	59	23°36' 59.400"	69°48' 19.586"
60	60	60	23°42' 36.892"	69°49' 43.760"
61	61	61	23°46' 45.012"	69°52' 0.908"
62	62	62	23°52' 38.769"	69°54' 54.963"
63	63	63	23°54' 42.901"	69°48' 56.295"
64	64	64	23°58' 30.304"	69°44' 57.032"
65	65	65	24°08' 50.575"	69°46' 31.947"

Indiacode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	1	24° 30' 04.333"	71° 20' 56.221"
2	2	2	24° 16' 30.128"	71°0 8' 05.386"
3	3	3	24° 02' 56.522"	71° 12' 14.051"
4	4	4	23° 52' 37.652"	70° 55' 00.234"
5	5	5	23° 45' 36.544"	70° 50' 34.870"
6	6	6	23° 51' 23.983"	70° 40' 36.927"
7	7	7	23° 37' 08.201"	70° 37' 28.392"
8	8	8	23° 33' 02.768"	70° 31' 23.946"
9	9	9	23° 39' 55.071"	70° 28' 13.567"
10	10	10	23° 29' 29.966"	70° 23' 36.004"
11	11	11	23° 30' 30.082"	70° 16' 11.608"
12	12	12	23° 22' 01.443"	70° 14' 51.539"
13	13	13	23° 23' 04.691"	70° 10' 21.570"
14	14	14	23° 22' 27.069"	70° 02' 10.721"
15	15	15	23° 22' 12.539"	69° 55' 43.364"

16	16	16	23° 26' 30.821"	69° 53' 25.018"
17	17	17	23° 24' 34.254"	69° 48' 06.173"
18	18	18	23° 34' 06.351"	69° 52' 00.396"
19	19	19	23° 37' 05.781"	69° 47' 45.000"
20	20	20	23° 42' 49.892"	69° 49' 11.409"
21	21	21	23° 44' 18.690"	69° 53' 39.636"
22	22	22	23° 47' 22.706"	69° 55' 29.463"
23	23	23	23° 52' 10.169"	69° 54' 23.910"
24	24	24	23° 56' 09.517"	69° 45' 06.256"
25	25	25	23° 58' 23.978"	69° 44' 22.339"
26	26	26	23° 58' 52.656"	69° 46' 48.230"
27	27	27	23° 52' 22.119"	69° 50' 45.302"
28	28	28	24° 08' 51.812"	69° 45' 56.372"
29	29	29	24° 09' 10.209"	70° 23' 57.735"
30	30	30	24° 07' 30.400"	70° 52' 09.580"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

IndiaCode

S. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Amrapar-II	Revenue	Anjar	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
2	Devisar	Revenue	Anjar	23°21'05.24"	70°06' 14.26"
3	Dhamadka	Revenue	Anjar	23°21'10.38"	70°09' 26.40"
4	Amarapar	Revenue	Bhachau	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
5	Bambhanka	Revenue	Bhachau	23°48'39.24"	70°20' 02.66"
6	Bandhadi	Revenue	Bhachau	23°23'27.04"	70°19' 05.04"
7	Baniari	Revenue	Bhachau	23°23'41.66"	70°10' 30.95"
8	Bapuari	Revenue	Bhachau	23°50'27.56"	70°20' 20.26"
9	Bharudia	Revenue	Bhachau	23°33'39.89"	70°24' 57.44"
10	Chobari	Revenue	Bhachau	23°51'45.29"	70°23' 44.34"
11	Dholavira	Revenue	Bhachau	23°52'54.97"	70°12' 50.03"
12	Gadhada	Revenue	Bhachau	23°54'29.25"	70°23' 43.47"
13	Ganeshpar	Revenue	Bhachau	23°51'44.57"	70°23' 43.96"
14	Janan	Revenue	Bhachau	23°49'49.51"	70°18' 26.71"
15	Kalyanpar	Revenue	Bhachau	23°51'52.22"	70°16' 56.93"
16	Kabrau	Revenue	Bhachau	23°19'26.12"	70°14' 48.36"
17	Kadol	Revenue	Bhachau	23°28'56.62"	70°16' 34.56"
18	Kakarva	Revenue	Bhachau	23°29'34.78"	70°24' 43.23"
19	Kankhoi	Revenue	Bhachau	23°33'29.23"	70°22' 39.42"
20	Kharoda	Revenue	Bhachau	23°52'15.99"	70°14' 48.24"

21	Kumbhardi	Revenue	Bhachau	23°20'18.32"	70°16' 14.04"
22	Manfara	Revenue	Bhachau	23°28'31.23"	70°21' 13.93"
23	Morgar	Revenue	Bhachau	23°20'26.45"	70°12' 23.16"
24	Ratanpar	Revenue	Bhachau	23°53'11.69"	70°21' 14.88"
25	Andhau	Revenue	Bhuj	23°45'31.85"	69°49' 47.29"
26	Berdo	Revenue	Bhuj	23°29'38.61"	69°55' 49.37"
27	Bhojardo	Revenue	Bhuj	23°35'37.23"	69°48' 47.50"
28	Daddhar Moti	Revenue	Bhuj	23°42'06.90"	69°52' 17.70"
29	Daddhar Nani	Revenue	Bhuj	23°41'32.84"	69°48' 00.48"
30	Dhoravar	Revenue	Bhuj	23°50'24.54"	69°50' 31.33"
31	Dhrobana	Revenue	Bhuj	23°56'08.23"	69°45' 09.54"
32	Dinara	Revenue	Bhuj	23°53'14.96"	69°43' 42.96"
33	Fulay	Revenue	Bhuj	23°24'16.47"	69°49' 05.54"
34	Goro Dungar	Revenue	Bhuj	23°47'44.19"	69°49' 05.54"
35	Jawaharnagar	Revenue	Bhuj	23°21'46.04"	70°01' 14.05"
36	Juna Juriya	Revenue	Bhuj	23°45'25.31"	69°56' 35.25"
37	Kharod	Revenue	Bhuj	23°26'30.31"	70°03' 38.46"
38	Kunariya (Jam)	Revenue	Bhuj	23°49'40.07"	69°53' 16.88"
39	Kuran	Revenue	Bhuj	23°57'24.27"	69°46' 56.28"
40	Lodai	Revenue	Bhuj	23°23'58.31"	69°53' 11.29"
41	Misariyado	Revenue	Bhuj	23°38'37.03"	69°46' 37.01"
42	Meri	Revenue	Bhuj	23°38'37.03"	69°47' 38.78"
43	Sadhara	Revenue	Bhuj	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
44	Udai (Bani)	Revenue	Bhuj	23°35'55.42"	69°51' 14.21"
45	Vagura (Banni)	Revenue	Bhuj	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
46	Vatra	Revenue	Bhuj	23°21'52.43"	69°56' 56.36"
47	Anandpar	Revenue	Rapar	23°49'06.88"	70°46' 07.42"
48	Balasar	Revenue	Rapar	23°50'32.41"	70°40' 03.99"
49	Bela	Revenue	Rapar	23°52'28.42"	70°48' 16.72"
50	Jatavada (Jilar Vand	Revenue	Rapar	23°50'15.02"	70°42' 55.17"
51	Jesda	Revenue	Rapar	23°37'50.32"	70°32' 17.69"
52	Lakda Vandh	Revenue	Rapar	23°52'25.65"	70°37' 50.43"
53	Lodrani (Parkara Van)	Revenue	Rapar	23°53'25.65"	70°37' 50.43"
54	Mauvana (Shivagadh)	Revenue	Rapar	23°49'41.95"	70°52' 00.94"
55	Nandasar	Revenue	Rapar	23°36'41.63"	70°38' 11.77"
56	Ramvav	Revenue	Rapar	23°33'02.12"	70°28' 11.09"
57	Rav Moti	Revenue	Rapar	23°39'33.71"	70°28' 47.02"
58	Surbavandh	Revenue	Rapar	23°42'47.49"	70°36' 13.42"
59	Suvai	Revenue	Rapar	23°36'52.49"	70°29' 31.78"

IndiaCode

60	Trambau	Revenue	Rapar	23°34'53.04"	70°33' 22.32"
61	Khari Jatavada	Revenue	Rapar	23°50'14.81"	70°45'3.77"
62	Kalyanpar	Revenue	Rapar	23°36'11.30"	70°40' 25.46"
63	Vanoi	Revenue	Rapar	23°36'48.72"	70°26' 56.08"
64	Vrajvani	Revenue	Rapar	23°48'57.73"	70°47' 33.01"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.02 23:00:44 +05'30'